

राजस्थान-सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक:-एफ3(ख) अति.कार्य/अलेसे-II/ 25573 -25578

दिनांक 3.2.2016

कार्यालय आदेश

विभागीय आदेश क्रमांक 24234-44 दिनांक 27.11.2015 के द्वारा श्री श्याम लाल सांवरिया, सलेअ-II कार्यालय जिला एवं सेशन न्यायालय, करौली को कार्यालय पंचायत समिति, नादौती (करौली) का दिया गया अतिरिक्त कार्य निरस्त किया जाता है ।



(भास्कर शर्मा)
निदेशक

क्रमांक:-एफ3(ख) अति.कार्य/अलेसे-II/ 25573 -25578

दिनांक 3.2.2016

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है :-

- 1 जिला एवं सेशन न्यायालय, करौली ।
- 2 विकास अधिकारी, पंचायत समिति, नादौती (करौली) ।
- 3 उपनिदेशक, एसीपी, कम्प्यूटर शाखा (वेबसाइट प्रकाशन हेतु) ।
- 4 अतिरिक्त निजी सचिव, निदेशक महोदय ।
- 5 श्री श्याम लाल सांवरिया, सलेअ ग्रेड-II कार्यालय जिला एवं सेशन न्यायालय, करौली ।
- 6 निजी/रक्षित पत्रावली ।



(डा.मनीष शुक्ला)
अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-II)